इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

संबंधित पक्षकार संव्यवहार नीति

1. परिचय

इस नीति का सृजन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सेबी (सूबीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015, समय-समय पर यथासंशोधित के विनियम-23 (जिसे यहां आगे **"सूचीकरण विनियम"** कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

2. इस नीति का कार्यक्षेत्र एवं प्रयोजन

इस नीति का उद्देश्य अधिनियम और सूचीकरण विनियमों के आधार पर कंपनी और इसके संबंधित पक्षों के बीच, (क) संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के लिए महत्ता सीमा; (ख) संव्यवहारों की व्यवस्था का तरीका निर्धारित करना है।

3. परिभाषाएं

3.1 **"अधिनियम"** से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम एवं इसमें किसी प्रकार के आशोधन, स्पष्टीकरण, परिपत्र एवं पुन:निर्धारण से है।

3.2 **"आर्म लैंथ संव्यवहार"** से तात्पर्य दो पक्षों के बीच संव्यवहार से है, जो कि इस प्रकार किए जाते हैं जैसे वे असंबंधित हों, ताकि अधिनियम की धारा-188(1) के स्पष्टीकरण (ख) में परिभाषित अनुसार हितों में टकरान न हो।

3.3 "संबद्ध कंपनी" से तात्पर्य अधिनियम की धारा-2(6) में परिभाषित अनुसार तथा लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत संबद्ध कंपनी से है।

3.4 **"लेखापरीक्षा समिति या समिति"** से तात्पर्य सूचीकरण करार और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गठित कंपनी के निदेशक मंडल की समिति से है।

3.5 **"बोर्ड"** से तात्पर्य समय-समय पर गठित इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल से है।

3.6 **"कंपनी"** से तात्पर्य इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) से है।

3.7 **"नियंत्रण"** का वही अर्थ होगा, जो सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में परिभाषित अनुसार होगा।

3.8 **"प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक"** से तात्पर्य अधिनियम की धारा-2(51) के अंतर्गत परिभाषित अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से है।

3.9 **"सूचीकरण विनियम"** से तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित से है।

3.10 "**महत्ता संबंधी पक्ष संव्यवहार**" से तात्पर्य संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार को महत्वपूर्ण तब माना जाएगा, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से किया गया संव्यवहार(संव्यवहारों) या पिछले संव्यवहारों का मूल्य, सूचीबद्ध निकाय की अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध निकाय के वार्षिक समेकित टर्नओवर के दस प्रतिशत से अधिक है।

उपर्युक्त किसी बात के होने के बावजूद ब्रांड प्रयोग या रॉयल्टी प्रयोग के बारे में संबंधित पक्ष को किए गए भुगतानों वाले संव्यवहार को महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पूर्ववर्ती समग्र संव्यवहार कंपनी के पिछले लेखापरीक्षित विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध निकाय के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 2 प्रतिशत से अधिक है।

महत्वपूर्ण आरपीटी के निर्धारण के लिए उपसीमा को 10 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर माना जाएगा।

3.11 **"व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया"** में व्यवसाय की आवश्यक, सामान्य तथा आकस्मिक गतिवधियां शामिल हैं, जो इन तक ही सीमित नहीं हैं। ये वाणिज्यिक संव्यवहारों की सामान्य पद्धतियों और रीतियों हैं। विधि में, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में कतिपय व्यवसाय की और कतिपय फर्म की सामान्य संव्यवहार, रीतियां और पद्धातियां शामिल हैं। व्यवसाय की सावधि सामान्य प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए सांकेतिक कारक:

क विशिष्ट कार्योंके लिए सामान्य या अन्यथा विशिष्ट हैं (यथा आपकी प्रणाली, प्रक्रियाओं, विज्ञापन, स्टाफ प्रशिक्षण, आदि की विशेषताएं)

ख बारम्बार और नियमित हैं।

ग इसमें व्यापक धनराशि शामिल है।

घ आपके व्यवसाय के लिए आय का स्रोत है।

ङ इसमें संसाधनों का व्यापक आवंटन शामिल है।

च ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और उत्पादों में शामिल है।

3.12 "नीति" से तात्पर्य इरकॉन की संबंधित पक्ष संव्यवहार से है।

3.13 **"संबंधित पक्ष"** से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-2(76) के अंतर्गत तथा लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत परिभाषित अनुसार संबंधित पक्षों से है:

बशर्ते कि कंपनी का प्रमोटर या प्रमोटर समूह का काई व्यक्ति या निकाय जिसके पास कंपनी की 20 प्रतिशत या अधिक की शेयरधारिता है, को संबंधित पक्ष माना जाएगा।

3.14 **"संबंधित पक्ष संव्यवहार" (आरपीटी)** से तात्पर्य कंपनी और संबद्ध संसाधनों**,** सेवाओं या बाध्यताओं के अंतरण से है**,** इस बात का विचार किए बिना कि अधिनियम की धारा-188(1) तथा सूचीकरण विनियमों के विनियम-2(1)(जेडसी) के अनुसार कीमत प्रभारित की गई है या नहीं।

3.15 **"संबंधी"** से तात्पर्य अधिनियम की धारा 2(77) में परिभाषित संबंधियों से है।

3.16 **"सहायक कंपनी"** से तात्पर्य अधिनियम की धारा-2(87) में परिभाषित सहायक कंपनी से है।

3.17 संबंधित पक्षों के साथ **"संव्यवहार"** का अर्थ एकल संव्यवहार या संव्यवहारों का समूह है।

इस नीति में प्रयुक्त अन्य शब्द (शब्दों) तथा जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो किसी सांविधिक आशोधन या इसमें पुन:अधिनियम या इसके अंतर्गत निर्मित कोई नियम सहित अधिनियम, सूचीकरण विनियम और इनके अंतर्गत निर्मित नियम एवं विनियम या कंपनी पर लागू कोई अन्य संगत विधान/कानून में परिभाषित है।

4. संबंधित पक्षकार संव्यवहार नीति - स्वीकृति

4.1 <u>लेखापरीक्षा समिति की स्वीकृति</u>

सभी संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के लिए लेखापरीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है।

तथापि, कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसके अधिकार) दूसरा संशोधन नियम, 2015 के नियम-6क तथा सूचीकरण विनियम के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के लिए बहुप्रयोजनीय स्वीकृति प्रदान कर सकती है:

क लेखापरीक्षा समिति सूचीबद्ध निकाय के संबंद्ध पक्षकार संव्यवहारों से संबंधित नीति के अनुरूप बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करेगी और ऐसी अनुमोदन उन संव्यवहारों के संबंध में लागू जो

बारबार/नियमित/पुनरावृत्ति प्रकृति के हैं और कंपनी के सामान्य व्यवसार के दौरान हुए हैं।

ख लेखापरीक्षा समिति उन संव्यवहारों को बहुप्रयोजनीय स्वीकृति प्रदान करेगी, जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में हैं और जो संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर हैं।

ग लेखापरीक्षा समिति ऐसे सभी संव्यवहारों को बहुप्रयोजनीय स्वीकृति प्रदान करेगी जैसा कि लेखापरीक्षा समिति उचित समझे।

घ लेखापरीक्षा समिति ऐसे बहुप्रयोजनीय अनुमोदन की आवश्यकता के संबंध में यह आश्वस्त करेगी कि कि ऐसा बहुप्रयोजनीय अनुमोदन कंपनी के हित में है।

ङ बहुप्रयोजनीय अनुमोदन में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा:

(i) संबद्ध पक्षकार का नाम, संव्यवहार की अवधि, सव्यवहारों की अधिकतम मात्रा;

(ii) सूचक आधारित कीमत (इंडिकेटिव बेस प्राइस)/वर्तमान संविदागत कीमत और कीमत में उतार चढाव का सूत्र, यदि कोई हो, और

(iii) ऐसी अन्य शर्तें, जो लेखापरीक्षा समिति उचित समझे;

परंतु यह कि जहां संबद्ध पक्षकार संव्यवहार की आवश्यकता की पूर्वकल्पना न की जा सकती हो और उपर्युक्त ब्यौरे उपलब्ध न हों, वहां लेखापरीक्षा समिति ऐसे संव्यवहारों के लिए बहुप्रयोजनीय अनुमोदन इस बात के अध्यधीन प्रदान कर सकेगी कि उनका मूल्य एक करोड़ रूपए प्रति संव्यवहार से अधिक न हो।

च लेखापरीक्षा समिति दिए गए प्रत्येक बहुप्रयोजनीय अनुमोदन के अनुसरण में सूचीबद्ध निकाय द्वारा किए गए संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के ब्यौरों की कम से कम तिमाही आधार पर समीक्षा करेगी;

छ ऐसे बहुप्रयोजनीय अनुमोदन एक वर्ष तक की अवधि के लिए वैध रहेंगे और एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात नए अनुमोदनों की अपेक्षा होगी।

4.2 <u>कंपनी के निदेशक मंडल की स्वीकृति</u>

प्रचलित नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा-188(1) के अनुसार, बोर्ड बैठक में संकल्प द्वारा बोर्ड की सहमति को छोड़कर तथा निर्धारित अनुसार ऐसी शर्तों के अध्यधीन, कोई भी कंपनी निम्नलिखित के संबंध में संबंधित पक्षकार के साथ किसी संविदा या व्यवस्था में प्रवेश नहीं करेगा:

(क) किसी सामान या सामग्री की खरीद, बिक्री या आपूर्ति;

(ख) किसी प्रकार की परिसंपत्ति की बिक्री या अन्यथा निपटान या खरीद;

(ग) किसी प्रकार की परिसिंपत्ति को पट्टे पर देना;

(घ) कोई सेवा प्राप्त या प्रदान करना;

(ङ) वस्तुओं, सामग्रियों, सेवाओं या परिसंपत्ति की बिक्री या खरीद के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति करना;

(च) कंपनी, सहायक कंपनी या संबद्ध कंपनी में किसी कार्यालय या लाभ के पद पर ऐसे संबंधित पक्षकार की नियुक्ति करना;

(छ) कंपनी की किसी प्रतिभूति या उसके डेरिवेटिवों के अंशदान की अंडरराइटिंग;

परन्तु यह कि उन संव्यवहरों जो आर्म लैंड आधार पर नहीं हैं, के अतिरिक्त व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में कंपनी द्वारा किसी संव्यवहार पर यह उप-धारा का कोई प्रावधान लागू नहीं होगा।

4.3 <u>कंपनी के शेयरधारकों की स्वीकृति</u>

कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम-15(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा-188(1) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार, निम्नलिखित संव्यवहारों के लिए कंपनी के शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है:

क्र.सं.	**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आरपीटी**	**शेयरधारकों की स्वीकृति हेतु अंतिम सीमा**
(क)	किसी सामान या सामग्री की खरीद, बिक्री या आपूर्ति;	कंपनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत या अधिक की धनराशि
(ख)	किसी प्रकार की परिसंपत्ति की बिक्री या अन्यथा निपटान या खरीद	कंपनी की निवल परिसंपत्ति के 10 प्रतिशत या अधिक की धनराशि

(ग)	किसी प्रकार की परिसिंपत्ति को पट्टे पर देना	कंपनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत या अधिक की धनराशि
(घ)	कोई सेवा प्राप्त या प्रदान करना	कंपनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत या अधिक की धनराशि
(ङ)	वस्तुओं, सामग्रियों, सेवाओं या परिसंपत्ति की बिक्री या खरीद के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति करना	खंड-4.2 के खंड-(क), (ख) तथा (घ) में निर्धारित सीमा के अनुसार, यदि एजेंट की नियुक्ति की गई है।
(च)	कंपनी, सहायक कंपनी या संबद्ध कंपनी में किसी कार्यालय या लाभ के पद पर ऐसे संबंधित पक्षकार की नियुक्ति करना	2.50 लाख रूपए से अधिक का मासिक पारिश्रमिक पर या संबद्ध कंपनी
(छ)	कंपनी की किसी प्रतिभूति या उसके डेरिवेटिवों के अंशदान की अंडरराइटिंग	निवल परिसंपत्ति का 1 प्रतिशत अधिक।

परन्तु यह कि उन संव्यवहरों जो आर्म लैंड आधार पर नहीं हैं, के अतिरिक्त व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में कंपनी द्वारा किसी संव्यवहार पर यह उप-धारा का कोई प्रावधान लागू नहीं होगा।

<u>शेयरधारकों की स्वीकृति से छूट:</u>

1. दो सरकारी कंपनियों के बीच संव्यवहारों के संबंध में;
2. धारक कंपनी तथा उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच हुए संव्यवहार, जिसके लेखों को ऐसी धारक कंपनी द्वारा समेकित किया गया है और अनुमोदन हेतु साधारण बैठक में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

4.4 सूचीकरण करारों के विनियम-23(4) की शर्तों के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के लिए संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की स्वीकृति अपेक्षित है और कोई भी संबंधित पक्षकार ऐसे संकल्पों की स्वीकृति के लिए वोट नहीं करेगा, चाहे वह निकाय विशिष्ट संव्यवहार के लिए संबंधित पक्षकार है या नहीं।

<u>छूट</u>:

1. दो सरकारी कंपनियों के बीच संव्यवहारों के संबंध में;
2. धारक कंपनी तथा उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच हुए संव्यवहार, जिसके लेखों को ऐसी धारक कंपनी द्वारा समेकित किया गया है और अनुमोदन हेतु साधारण बैठक में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3. कंपनी के संबंध में, दिवाला कोड की धारा-31 के अंतर्गत संकल्प योजना को स्वीकृत किया गया है तो, यह स्वीकृत किए जा रहे संकल्प के एक दिन की भीतर मान्य स्टॉक एक्सचेंजो को प्रकट किए जाने की घटना में अध्यधीन होगा।

5. स्वीकृति और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया

5.1 संभावित संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का चिह्नन

संबंधित निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/कार्यपालक निदेशक/क्रियात्मक प्रमुख किसी संभावित संबंधित पक्षकार संव्यवहार की सूचना बोर्ड या लेखापरीक्षा समिति को देगा जिसमें वह या उसका कोई संबंधी शामिल है और इसके अतिरिक्त बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति द्वारा युक्तिसंगत अनुरोध पर संव्यवहार के संबंध में कोई अतिरिक्त सूचना भी उपलब्ध कराएगा। बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति यह निर्धारित करेगी कि क्या वह संव्यवहार वास्तव में संबंधित पक्षकार संव्यवहार है जिसके लिए इस नीति के अनुपालन की अपेक्षा है।

कार्यपालक निदेशक/क्रियात्मक प्रमुख सभी संबंधित पक्षकारों के साथ सव्यवहारों की सूचना प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 10 दिनों के भीतर निगमित वित्त विभाग तथा कंपनी सचिव विभाग को देगा।

उपर्युक्त के आधार पर, सभी संबंधित पक्षकार संव्यवहारों को लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

5.2 सबंधित पक्षकार संव्यवहारों की समीक्षा और स्वीकृति

5.2.1 लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड की स्वीकृति

संबंधित पक्ष संव्यवहार (संव्यवहारों) में प्रवेश करने के लिए लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड को निम्नलिखित ब्यौरा/सूचना उपलब्ध कराई जाएगी:

(क) प्रवेश किए जाने वाले संव्यवहार के संबंधित पक्षकार का नाम, संबंध की प्रकृति, संव्यवहार की प्रकृति, संव्यवहार की अवधि, संव्यवहार की अधिकतम राशि।

(ख) महत्वपूर्ण शर्तों और मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा व्यवस्था का विवरण;

(ग) संविदा या व्यवस्था में कोई अग्रिम भुगतान किया या प्राप्त, यदि कोई हो, किया गया है।

(घ) मूल्य निर्धारण का तरीका (सांकेतिक आधार मूल्य/चालू संविदागत मूल्य तथा मूल्य में उतारचढ़ाव के लिए सूत्र, यदि कोई हो) अन्य वाणिज्यिक शर्तें, संविदा

के भाग के रूप में शामिलप तथा संविदा के भाग के रूप में शामिल नहीं, दोनों दृष्टिकोणों से।

(ङ) क्या संविदा के सभी संगत कारकों पर विचार किया गया है, यदि नहीं तो कारकों का ब्यौरा जिनपर विचार नहीं किया गया है और उन कारकों पर विचार न किए जाने का मूलाधार; और

(च) प्रस्तावित संव्यवहार पर निर्णय लेते समय लेखापरीक्षा समिति के लिए संगत या महत्वपूर्ण कोई अन्य सूचना।

<u>लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड द्वारा विवेचन</u>

लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड स्वीकृति प्रदान करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा:

क. संव्यवहार की शर्तों, संव्यवहार के व्यावसायिक प्रयोजन, कंपनी को लाभ तथा संबंधित पक्षकार को लाभ सहित सभी संगत तथ्य और परिस्थितियां।

ख. क्या संव्यवहार में प्रवेश करते समय संबंधित पक्षकार संव्यवहार की शर्तें कंपनी के व्यवसाय की सामान्य प्रकिया तथा आर्म लैंथ आधार पर हैं।

ग. संबंधित पक्ष संव्यवहार में प्रवेश करने के लिए कंपनी के व्यावसायिक कारण और वैकल्पिक संव्यवहार, यदि कोई हो, की प्रकृति।

घ. क्या संबंधित पक्ष संव्यवहार कंपनी के किसी निदेशक या केएमपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा या हितों में टकराव उत्पन्न करेगा।

ड. निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक किसी संबंधित पक्षकार संव्यवहार की किसी चर्चा या स्वीकृति प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, जिसके लिए वह संबंधित पक्षकार है, केवल इस बात को छोड़कर कि वह लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड को संबंधित पक्ष संव्यवहार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराएगा।

च. कोई अन्य मुद्दा जो लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड उपयुक्त समझे।

5.2.2 **<u>शेयरधारकों की स्वीकृति</u>**

यदि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार या अन्यथा संबंधित पक्षकार संव्यवहार को शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करता है तो, ऐसे मामलों में यदि कंपनी का कोई शेयरधारक इस नीति के अनुसार संबद्ध पक्ष है तो, कंपनी का ऐसा शेयरधारक ऐसे संबंधित पक्षकार संव्यवहार की स्वीकृति हेतु पारित संकल्प पर वोट नहीं करेगा।

6 प्रकटन

(क) अधिनियम के अनुच्छेद-188 की तर्ज पर बोर्ड/शेयरधारकों की स्वीकृति के साथ संबद्ध पक्षों के साथ की गई प्रत्येक संविदा या व्यवस्था को ऐसी संविदा या व्यवस्थाओं में प्रवेश करने के लिए औचित्य प्रस्तुत करते हुए शेयरधारकों के लिए इसे बोर्ड की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहारों का ब्यौरा को स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत की जाने वाली निगमित शासन पर अनुपालन रिपोर्ट में तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) कंपनी अपने अर्धवार्षिक स्टेंडएलोन तथा समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किए जाने और अपनी वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु वार्षिक परिणामों के लिए संगत लेखांकन मानकों में विनिर्दिष्ट प्रारूप में समेकित आधार पर संबंधित पक्षकार संव्यवहारों को प्रकट करेगी।

(घ) कंपनी संबंधित पक्ष संव्यवहारों की व्यवस्था संबंधी नीति को अपनी वेबसाइट पर प्रकट करेगा और इससे संबंधित वेब लिंक को वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराएगी।

(ङ) सभी संबद्ध पक्षों के नाम, संबंधों की प्रकृति तथा सभी संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के ब्यौरे को लेखांकन मानक-18 के अनुसार वित्तीय विवरण में प्रकट किया जाएगा।

(च) कंपनी एक या अधिक रंजिस्टर बनाएगी जिसमें बोर्ड की स्वीकृति की अपेक्षा वाले सभी संबंधित पक्षकारों के साथ सभी संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण पृथक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

7 संशोधन

निदेशक मंडल अधिनियम या किसी अन्य सांविधि की अपेक्षाओं के अनुसार इस नीति की प्रत्येक तीन वर्षों में कम से कम एक बार समीक्षा करेगा और समय-समय पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से इस नीति में संशोधन करेगी।

तथापि, सूचीकरण विनियमों या किसी सांविधिक नियम के अनुपालन हेतु नीति में किसी संशोधन को अनुमोदित करने की शक्ति कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को है।

<u>सूचीकरण विनियम तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्वीकृति और महत्व/संस्तुति तंत्र का सार</u>

संव्यवहार(संव्यवहारों) को स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी	**संव्यवहार(संव्यवहारों) को स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी**
संबंधित पक्षकार संव्यवहार और कोई आगामी संशोधन	लेखापरीक्षा समिति।
आरपीटी, जो व्यवसाय की साधारण प्रकिया या आर्म लैंथ आधार या दोनों (अंतिम सीमाओं से नीचे) में नहीं हैं।	स्वीकृति हेतु लेखापरीक्षा समिति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत सिफारिश। बोर्ड द्वारा स्वीकृति।
महत्वपूर्ण आरपीटी और आरपीटी, जो व्यवसाय की साधारण प्रकिया या आर्म लैंथ आधार में नहीं हैं।	स्वीकृति हेतु लेखापरीक्षा समिति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत सिफारिश। बोर्ड द्वारा शेयरधारकों हेतु संस्तुति। शेयरधारकों द्वारा स्वीकृति।

****